न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 148/2018
CIS No. :– TS/509/2018
CNR No. :– BRWC22–000593–2018

मुकेश जयसवाल बनाम् **श्रीमती सुंदरपति देवी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
24.01.2022	अभिलेख वर्चुअल मोड में पेश हुयी। उभयपक्ष की ओर से वर्चुअल मोड द्वारा अभिलेख में पैरवी की गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। उभय पक्ष द्वारा धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सुलह समझौते से इन्कार किया गया। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद–बिन्दु विरचित किए जाते हैं **:–** 1– क्या वादी वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति का स्वामी व काबिज है ? 2– क्या वादी वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार दान विलेख दिनांकित 20.02.1995 को मंसूख कराने का अधिकारी है ? 3– क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ? 4– क्या वाद काल बाधित है ? 5– क्या दावा वादी विबंधन, अधित्यजन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है ? 6– क्या वादी का वाद धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ? 7– क्या वादी को कोई वाद कारण प्राप्त है ? 8– क्या वाद पोषणीय है ? 9– क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? वाद बिन्दु पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। उक्त के अलावा न तो कोई अन्य वाद बिन्दु विरचित होता है न ही पक्षकारों द्वारा बनाये जाने पर	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 148/2018
CIS No. :– TS/509/2018
CNR No. :– BRWC22–000593–2018

मुकेश जयसवाल बनाम् **श्रीमती सुंदरपति देवी एवं अन्य**

लगातार **24.01.2022**	बल दिया गया है। उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि अपने–अपने दावे से संबंधित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य सूची अग्रिम नियत तिथि तक दाखिल करें। अभिलेख वास्ते वादी साक्ष्य हेतु दिनांक–19.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज	